राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 486/2025

राम सिंह भाभोर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन पंचायती राज चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, बांसवाड़ा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : **12.02.2025**
आदेश की दिनांक : **13.02.2025**

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रविन्द्र सिंह चम्पावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सालोपाट, गागड़तलाई, बासंवाड़ा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी का दिनांक 23.05.1998, 24.07.2000, 10.08.2000, 15.04.2015, एवं आदेश दिनांक 03.06.2016 (अनुलग्नक–3 से 7) के द्वारा अपीलार्थी का बारंबार स्थानांतरण अपीलार्थी को हैरान एवं परेशाान करने के लिए किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि

अपीलार्थी के पिता वृद्ध हैं उनकी शारीरिक स्थिति खराब है जो कि चिकित्सकीय रूप से अक्षम हैं, उनके शरीर में कई चिकित्सकीय समस्याएं हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में भी प्रत्यर्थी विभाग ने मामले के कानूनी और तथ्यात्मक पहलू पर विचार किए बिना, अपीलार्थी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया गया है। इसके संबंध में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 प्रभावी है, जिसके नियम 8(iii) के तहत प्रत्यर्थी विभाग की स्थानान्तरण से पूर्व पंचायती राज विभाग की सहमति लेना आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाए जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थान पर निरंतर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य